# सराहनीय कार्य

## इटावा पुलिस

***प्रेस नोट- दिनांक 20.11.2023***

**शराब के नशे में चचेरे भाई को जान से मारने की नीयत से गोली मारने वाले 02 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

**कब्जे से 01 अवैध तमंचा,01 खोखा कारतूस एवं 01 जिन्दा कारतूस किया गया बरामद।**

**अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली* पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।**

**घटना का संक्षिप्त विवरण:-**

वादी धर्मेन्द्र यादव द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 19.11.2023 की रात्रि को उसके भाई के लडके शराब पीकर आपस में लड रहे थे, जिनको वादी तथा उसके पुत्र द्वारा समझाने की कोशिश की गयी तो उसके भाई के लडके नरेन्द्र यादव एवं अंकित यादव द्वारा वादी तथा उसके पुत्र के साथ गाली गलौच की गयी तथा अंकित यादव द्वारा **वादी के पुत्र शिवम यादव** को जान से मारने की नीयत से उसे गोली मार दी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 333/2023 धारा 323/504/307 भादवि पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-**

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन मे थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति वाहन/ चैकिंग की जा रही थी, इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **मु0अ0सं0 333/23 मे वांछित अभियुक्त नरेन्द्र यादव व अंकित यादव को पक्का बाग तिराहे के पास से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 खोखा कारतूस सहित समय 13.40 बजे** गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

**1. नरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह यादव नि0 कटरा फतेह महमूद खाँ थाना कोतवाली जनपद इटावा उम्र करीब 28 वर्ष**

**2. अंकित यादव उर्फ गिल्लू पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह यादव नि0 कटरा फतेह महमूद खाँ थाना कोतवाली जनपद इटावा उम्र करीब 24 वर्ष**

**पंजीकृत अभियोग-**

1. **मु0अ0सं0 333/2023 धारा 323/504/307 भादवि0 व 3/25 A ACT**

**आपराधिक इतिहास -**

**A. अभि0 अंकित यादव**

**1-मु0अ0सं0 614/2016 धारा 323/384/504/506 भादवि थाना कोतवाली इटावा**

**2- मु0अ0सं0 143/2018 धारा 147/148/149/307/336 भादवि थाना सिविल लाइन इटावा**

**3- मु0अ0सं0 333/2023 धारा 323/504/307 भादवि0 व 3/25 A ACT**

**B.अभि0 नरेन्द्र यादव**

**1. मु0अ0सं0 333/2023 धारा 323/504/307 भादवि0 व 3/25 A ACT**

**बरामदगी का विवरण-**

1. **01 अदद तमंचा 315 बोर**
2. **01 जिन्दा कारतूस 315 बोर**
3. **01 खोखा कारतूस 315 बोर**

**पुलिस टीम- निरीक्षक श्री विक्रम सिंह चौहान प्रभारी थाना कोतवाली, उ0नि0 अवधेश कुमार, उ0नि0 दयानन्द पटेल, का0 44 अक्षय कुमार, का0 216 आकाश यादव**